# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 20 / 2013

अनवान : –

1. लेखराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. हनुमान पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. मामराज पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दुलीचंद पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. केसर पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. ज्याना पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
6. माना पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
8. धापी देवी पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
9. मंगलाराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
10. डालुराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
11. लालचंद पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
12. जैता पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
13. कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
14. रोशनी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
15. राजो पत्नी महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
16. कानाराम पुत्र महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
17. सुमित्रा पुत्री महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
18. हरीराम पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
19. रामकुमार पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
20. परमा पुत्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
21. लिछमा पुत्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
22. सुगना पुत्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
23. तुलछा पुत्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
24. सरबती पत्नी नानकराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

**प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13**
**व सपठित धारा 151 सीपीसी**

उपस्थिति :– 1. श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय**

दिनांक: 24/09/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया है कि उक्त अनवान का दावा न्यायालय हाजा में जैरकार था जिसमें दिनांक 31.12.2012 को वादीगण के हक मे डिक्री फरमा दिया गया एवं प्रार्थी [illegible] एकतरफा डिक्री किया गया है एवं प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.12.12 को एकपक्षीय [illegible] नियमानुसार नही की गई है। उक्त मुकदमा का ज्ञान प्रार्थी को कभी [illegible] के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2012 व 11.12.2012 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी को जवाब का मौका प्रदान कर सुनवाई का अवसर देते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विधिवत तामील होने के बाद ही की गई है। प्रतिवादीगण को उक्त दावा का ज्ञान था प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.12 प्रकरण स0 101/2012 बअनुवानी लेखराम बनाम मामराज आदि की माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के अपील प्रस्तुत की है प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्य छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो की खारिज योगय है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सायल का कथन है कि प्रकरण संख्या 714/2024 अनवानी प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के विरूद्ध बिना तामिल के एकपक्षीय कार्यवाही कर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जबकि पत्रावली में पेश माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 05.04.2017 अनवानी मालाराम बनाम लेखराम में निर्णय पारित किया जा चुका है उक्त अपील न्यायालय हाजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.12 अनवानी लेखराम बनाम मामराज के विरूद्ध पेश की गई थी। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली अनवानी लेखराम बनाम मामराज उक्त पत्रावली के संलग्न की जावें। जबकि उक्त प्रकरण की अपील सक्षम न्यायालय मे की जा चुकी है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है इसलिए उक्त प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नही है एवं मूल पत्रावली की कोई आवश्यकता नही है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.12.12 की अपील का निर्णय किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। अतः उक्त विवेचनास्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested